न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 45 / 2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00197

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
बाबूलाल पुत्र पुखराज, जाति सुथार, निवासी ग्राम दुजाणा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राज.)		1. जगदीशचन्द्र उर्फ जुगराज पुत्र सरदारमल, जाति जैन, निवासी ग्राम दुजाणा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत दुजाणा जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 27.10.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत दुजाणा द्वारा मिसल संख्या 163 दिनांक 13.03.1966 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 101 दिनांक 23.01.1988 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि पंचायत राज निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी भी रूप से नहीं सुना गया है, जिससे ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर पंचायत निगरानी आदेश के जरिये अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मिसल संख्या 163 दिनांक 13.03.1966 के द्वारा जो पट्टा जारी करना वर्णित है, उसकी समस्त कार्यवाही पत्रावली विहीन होने से जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव के जो पट्टा जारी किया गया है विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु मौका देखने हेतु पंचों की नियुक्ति के आदेश भी नहीं हुए है न ही जैर आराजी के कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण व आपत्ति इश्तिहार जारी किये बिना ही जिस आदेश व प्रस्ताव के जरिये जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है वह विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिले खारिज है। जैर आराजी पर मेरा काफी वर्षों से कब्जा है एवं उपयोग–उपभोग कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवाद उत्पन्न करने से जैर निगरानी पट्टा की जानकारी प्राप्त हुई जिस बाबत् पंचायत द्वारा रेकर्ड की प्रमाणित प्रति मांगने पर कार्यालय में रेकर्ड का उपलब्ध नहीं बताया गया। जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरूद्ध होने से जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिजे है। जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जल एवं विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थी संख्या 01 के नाम प्राप्त किये हुए है, जो आज भी कायम है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 से मौके पर कोई कब्जा एवं उपयोग–उपभोग साबित नहीं है। अत जैर निगरानी आदेश व प्रस्ताव काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में पंचायतीराज के किसी भी नियम के तहत कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा कूटरचित होने से काबिले खारिज है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा में बना हुआ है। अप्रार्थी अभी व्यापार के सिलसिले में मुम्बई रहता है तथा प्रार्थी पड़ोसी होने से अप्रार्थी की अनुपस्थिति में जैर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

आराजी पर कब्जा कर लिया है। इसलिए हमारे द्वारा एक एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई तथा वर्ष 1966 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो यह उनके क्षेत्राधिकार की बात है तथा जैर आराजी से संबंधित अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2014 के अनुसार प्रार्थी बाबूलाल के तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय/उच्च न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की गई है। अब प्रार्थी बिना आधार की पंचायत निगरानी अथवा स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश कर न्यायालय के निर्णय को प्रभावी कर रहा है तथा अप्रार्थी सिविल न्यायालय के निर्णय की पालना करवाते हुए मकान का कब्जा प्राप्त करता है तो तुलनात्मक असुविधा मुझ अप्रार्थी को होगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर के निर्णय व डिक्री की पालना अवरूद्ध होगी। अतः प्रार्थी का पंचायती निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को निरस्त फरमावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया जिसमें प्रार्थी पट्टा जारी करने में प्रक्रियात्मक कमियां बता रहा है जबकि जैर आराजी से संबंधित वाद न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर में दर्ज होकर दिनांक 16.12.2014 को निर्णय/डिक्री पारित किये गये। जिसके अनुसार जारी विवाद्यक संख्या 01 में वादी (जगदीश चन्द्र) विवादित मकान का कब्जा प्रतिवादी (बाबूलाल) से पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है, जो वादी (जगदीश चन्द्र) के पक्ष में तय किया गया है। विवाद्यक संख्या 02 विवादित मकान का पट्टा प्रतिवादी (बाबूलाल) के पिता के नाम सन् 1962 से जारी होकर प्रतिवादी बहैसियत स्वामी ही निवास कर रहा है जो प्रतिवादी (बाबूलाल) के विरूद्ध तय किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य एवं सबूतों के पश्चात समस्त बिन्दुओं का पूर्ण अवलोकन कर हक एवं अधिकारों के संबंध में विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमें अप्रार्थी जगदीशचन्द्र का पट्टा संख्या 101 दिनांक 23.01.1988 सही एवं नियमानुसार पाया गया है। इस न्यायालय में भी प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया हो।

चूंकि जैर निगरानी प्रार्थना–पत्र में न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, सुमेरपुर द्वारा हक अधिकार तय किये जा चुके है तथा इस न्यायालय में उक्त प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से हस्तगत पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 खारिज किया जाता है एवं सख्त हिदायत दी जाती है कि जो प्रकरण सिविल न्यायालय द्वारा सभी अधिकार तय किये जाने के पश्चात भी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग की मंशा से इस न्यायालय में प्रकरण पुनः पेश किया जाकर न्यायालय का समय जाया किया है, जो उचित नहीं है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)